जम्मू व कश्मीर
सूचना अधिकार अधिनियम, 2009
(2009 की अधिनिय संख्या VIII)

(20 मार्च 2009)

लोक अधिकारीयों के नियंत्रण के अन्तर्गत सूचना तक पहुंच पाने के लिए राज्य के लोगों के लिए सूचना अधिकार की व्यवस्था स्थापित करने के लिए अधिनियम, ताकि प्रत्येक लोक प्रधिकरण के कार्यचालन, राज्य सूचना आयोग के गठन तथा तत्सम्बन्धित अथवा तत्प्रासंगिक मामलों में पारदर्शिता और जवाब देही को बढ़ावा मिल सके,

जबकि भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थपना की है; और

जबकि लोकतंत्र एक जानकार नागरिक वर्ग और सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो इसके कर्त्तव्यपालन में और भ्रष्टाचार रोकने में भी और सरकार तथा उसके सहायक अंगों को शाशित वर्ग के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अत्यन्त महात्त्वपूर्ण हैं; और

जबकि वास्तविक व्यवहार मे सूचना का प्रकटीकरण अन्य लोक हितों के साथ सम्मवतः उलझनें पैदा कर सकता है जिसमें सरकार के कुशल कार्यचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग तथा संवेदी जानकार की गोपनीयता का सरंक्षण भी शमिल है; और

जबकि लोग तांत्रिक आदर्श की सर्वोच्चता बनोाई रखते हुए इन विरोधी लोकहितों का सामंजस्य करना आवश्यक है; और

जबकि इच्छुक नागरिकों के कुछ जानाकरी उपलब्ध कराना युक्ति संगत है।

जम्मू व कश्मीर विधान मंडल द्वारा भारत के गणतंत्र के साठवें वर्ष में यह निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

अध्याय I
प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-** (1) यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर सूचना अधिकार अधिनियम कहलाया जा सकेगा।
   2. इसका विस्तार सम्पूर्ण राज्य में है।
   3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. **परिभाषाएं:-** इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
   क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है जम्मू व कश्मीर सूचना अधिकार अधिनियम, 2009
   ख) 'सक्षम' प्राधिकरण' से अभिप्रेत है–
      i. राज्य की विधान सभा के मामले में अध्यक्ष (स्पीकर) और राज्य की विधान परिषद के मामले में सभापति;
      ii. उच्च न्यायालय के मामले में उच्च न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश;
      iii. भारत के संविधान अथवा जम्मू व कश्मीर के संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत स्थापित अथवा गठित अन्य प्रधिकाणों के मामले में राज्यपाल;
   ग) 'राज्य' से अभिप्रेत है जम्मू व कश्मीर राज्य;
   घ) 'सूचना' से अभिप्रेत है किसी भी रूप में (कोई भी सामग्री जिसमें शामिल है अभिलेख, प्रलेख, ज्ञापन, ई मेल, राय, परामर्श, प्रेस, विज्ञप्तियां, परिपत्र, आदेश, लाग बुक्स, ठेके, प्रतिवेदन, काग़ज़ात, नमूने, आदर्श नमूने, किसी इलेक्ट्रानिक रूप में रखी गई डाटा सामग्री और किसी प्राईवेट निकाय से सम्बन्धित जानकारी जिस तक किसी लोक प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लागू किसी अन्य कानून के अन्तर्गत पहुंचा जा सकता है;
   ङ.) 'निर्धारित' से अभिप्रेत है सरकार अथवा सक्षम प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित;
   च) 'लोक प्राधिकरण' से अभिप्रेत है स्वायत शासन का कोई प्राधिकरण अथवा निकाय अथवा संस्था जो निम्नानुसार दिए गए किसी माध्यम से संस्थापित अथवा गठित किए गए हों–

i. भारत के संविधान अथवा जम्मू व कश्मीर के संविधान द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत;
ii. संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के द्वारो;
iii. राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून के द्वारा;
iv. सरकार द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना अथवा बनाए गए किसी आदेश द्वारा, जिसमें शामिल है कोई–

क) स्वामित्व वाला, नियंत्रित अथवा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय;

ख) गैर सरकारी संगठन जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है;

छ) 'लोक सूचना अधिकार' से अभिप्रेत है उप धारा (i) के अन्तर्गत मनोनीत किया गया लोक सूचना अधिकारी और जिस में शामिल है धारा 5 की उप धारा (2) के अन्तर्गत इस प्रकार मनोनीत किया गया सहायक सूचना अधिकारी;

ज) 'अभिलेख' में शामिल है–

i. कोई प्रलेख, हस्तलिपि और फाइल;
ii. प्रलेख की कोई माइक्रो फिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिलिपि;
iii. ऐसी माइक्रोफिल्म (परिवर्धित अथवा नहीं) में गर्भित कोई फिर से बनाई गई प्रतिकृति अथवा प्रतिकृतियां; और
iv. कम्प्यूटर अथवा किसी अन्य साधन द्वारा बनाई गई कोई अन्य सामग्री;

झ) 'सूचना अधिकार' से अभिप्रेत है अधिनियम के अन्तर्गत पहुंच के योग्य सूचना का वह अधिकार है जो किसी लोक प्राधिकरण द्वारा वहन किया गया हो या उसके नियंत्रण के अधीन हो और जिस में शामिल है निम्नवत् दिया गया अधिकार–

i. निर्माण कार्य, प्रलेखों, अभिलेखों के निरीक्षण का;
ii. प्रलेखों अथवा अभिलेखों की टिप्पणियां, उद्धरण, अथवा प्रमाणित प्रतियां लेने का;
iii. समग्री के प्रमाणित नमूनों को प्राप्त करने का;
iv. डिस्केटों, फ्लापियों, टेपों, वीड़ियों, कैसेटों के रूप में जानकारी लेने का अथवा किसी अन्य इलेक्ट्रानिक पद्धति के रूप में अथवा

प्रिंट आउटों के माध्यम से प्राप्त करने का, जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर अथवा किसी अन्य साधन में संचित की गई हो;

ा) 'राज्य सूचना आयोग' से अभिप्रेत है धारा 12 की उप धारा (i) के अन्तर्गत गठित राज्य सूचना आयोग;

ट) 'राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त' तथा 'राज्य के सूचना आयुक्त' से अभिप्रेत है धारा 12 की उप घारा (3) के अन्तर्गत नियुक्त किया गया राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य का सूचना आयुक्त;

ठ) 'तीसरी पार्टी' से अभिप्रेत है नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति जो सूचना के लिए अनुरोध करता है और जिसमें लोक प्राधिकरण भी शामिल है।

अध्याय II

सूचना अधिकार तथा लोक प्राधिकरणों के कर्त्तव्य

3. **सूचना अधिकारः-** अधिनियम की शर्तों के अधीन, राज्य में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति को सूचना का अधिकार होगा।

4. **लोक प्राधिकरणों के कर्त्तव्यः-** (i) प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिए निम्नानुसार करना अनिवार्य होगा–

क) अपने समस्त अभिलेखों का रखरखाव करेगा जो ऐसे तरीके से और फार्म पर विधिवत् सूचीबद्ध और सूचकांकित किए गए हों जिस से अधिनियम के अन्तर्गत सूचना अधिकार सुगम बन जाता है और यह भी सुनिश्चित करेगा कि ऐसे तमाम अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत करने के लिए यथोचित हैं, सारे उचित समय के अंदर और संसाधनों की उपलब्धता की शर्त के अधीन कंप्यूटरीकृत हों और सम्पूर्ण राज्य में विभिन्न प्रणालियों पर एक तन्त्र प्रणाली के माध्यम से जुड़े हों ताकि ऐसे अभिलेखों की पहुंच सुलभ हो सके;

ख) अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से लेकर एक सौ बीस दिनों के अंदर निम्नवर्णित प्रकाशित करेगा,

i. अपने संगठन, कार्यो और कर्त्तव्यों के ब्यौरे;

ii. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य;

iii. निर्णय लेने की प्रक्रिया तथा अधीक्षण और जवाब देही के मार्गो में अपनाई गई कार्याप्रणाली;

iv. अपने कर्त्तव्यों को निमाने के लिए इसके द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्ड;

v. अपने कर्त्तव्यों को निभाने के लिए इसके द्वारा रखे गए अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कर्मचारियों द्वारा प्रयोग में लाए गए नियम, विनियम, अनुदेश, नियम पुस्तकें तथा अभिलेख;

vi. अपने पास रखे गए अथवा इसके नियत्रंणाधीन प्रलेखों की श्रेणियों का विवरण;

vii. इसके नीतिनिर्धारण अथवा उसके कार्यान्वयन से सम्बन्धित जनता के सदस्यों के साथ, अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा, परामर्श के लिए विद्यमान किसी व्यवस्था के ब्यौरे;

viii. इसके अंग के रूप में अथवा इसके परामर्श के उद्देश्य से गठित दो अथवा अधिक व्यक्तियों से सम्मन्न बोर्डो, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों का विवरण, और क्या उन बोर्डो, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, अथवा ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुगम है;

ix. इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की नामावली

x. इसके प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिद्वश्रमिक तथा इसके यथा विनियमों में व्यवस्थित प्रतिपूर्ति की प्रणाली;

xi. इसकी प्रत्येक एजेंसी के लिए आवंटित बजट जो सारे प्लानों, प्रस्तावित व्ययों और किए गए वितरणों पर रिपोर्टो के ब्यौरे दर्शाता हो;

xii. परिदान (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन के तरीके तथा आवंटित राशियां तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभभोगियों के ब्यौरे;

xiii. इसके द्वारा अनुमोदित रियायतों, पर्मिटों अथवा प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं के ब्यौरे;

xiv. इसके उपलब्ध अथवा इस के द्वारा धारण की गई उस जानकारी, जो इलेक्ट्रानिक फार्म में व्यवस्थित की गई है से सम्बन्धित ब्यौरे;

xv. जानकारी को प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे तथा पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष, यदि जनता हेतु रखे गए हों, का कार्य समय;

xvi. लोक सुचना अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा अन्य ब्यौरे;

xvii. कोई ऐसी जानकारी जो निर्धारित की जाएगी; और उसके बाद इन प्रकाशनों का प्रति वर्ष अद्यतन करें;

ग) आवश्यक नीतियों को निर्धारित करते अथवा निर्णय घोषित करते समय, जिसका प्रभाव जनता पर पड़ता हो, तमाम प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें;

घ) अपने प्रशासकीय अथवा अर्धन्यायिक निर्णयों के कारण प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध कराएं।

2. यह प्रत्येक लोक प्राधिकरण को प्रयत्न होगा कि वह उप धारा (i) के खण्ड (ख) की अपेक्षताओं के अनुरूप संचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिस में इंटर्नेट शामिल है, नियमित अंतरालों पर जनता को इतनी आवश्क जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा ताकि जनता को जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के प्रयोग में अधिक दौड़ धूप न करनी पड़े।

3. उप धारा (i) के उद्देश्यों के लिए प्रत्येक सूचना का प्रचार–प्रसार व्यापक रूप से इस स्वरूप और तरीके से करना होगा जो जनता के लिए सुलभ हो।

4. लागत की प्रभावकारिता, स्थानीय भाषा और उस स्थानीय क्षेत्र में संचार के सर्वोत्तम प्रभावकारी तरीके को ध्यान में रखने हुए तमाम सामग्री का प्रचार–प्रसार किया जाना होगा और जानकारी, जहां तक संभव हो सके, लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक फार्मेट में आसानी से पहुंच योग्य होगी चाहिए और निःशुल्क अथवा प्रचार माध्यमों की ऐसी लागत पर अथवा छपाई की लागत पर, जो निर्धारित की जाए, उपलब्ध होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :- उप धाराओं (3) और (4) के उद्देश्यों के लिए 'प्रचार–प्रसार' से अभिप्रेत है जनता को सूचना पटों, समाचार पत्रों, आम घोषणाओं, मीड़िया, प्रसारणों, इंटर्नेट अथवा अन्य साधनों के माध्यम से जिसमें किसी लोक प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण भी शामिल है, सूचना का बोध कराना अथवा समाचार देना।

5. लोक सूचना अधिकारियों को नामज़द किया जाना (i) प्रत्येक लोक प्रोसधिकरण इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से लेकर एक सौ दिनों के अंदर अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी मांगने वाले व्यक्तियों को

आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अपने अधीन समस्त प्रशासकीय इकाइयों अथवा कार्यालयों में इतने अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारियों के रूप में नामज़द करेगा जितने आवश्यक होंगे।

(2) उप धारा (i) के प्रावधानों का पक्षपात किए बिना प्रत्येक लोक प्राधिकरण इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से लेकर एक सौ दिनों के अंदर प्रति उप मंडलीय स्तर पर अथवा अन्य उप ज़िला स्तर पर इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना अथवा अपील के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए तथा उन आवेदनों को धारा 16 की उप धारा (i) के अन्तर्गत निर्दिष्ट किए गए लोक सूचना अधिकारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी के पास अथवा राज्य सूचना आयोग के पास, जैसा भी मामला हो, तुरन्त अग्रेषित करने के लिए सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में एक अधिकारी को नामज़द करेगा:

परंतु जहां सूचना अथवा अपील के लिए आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है तो उस सूरत में धारा 7 की उप धारा (1) के अन्तर्गत निर्दिष्ट उत्तर देने के लिए अवधि की गणना में पांच दिनों की अवधि जोड़ी जाएगी।

3. प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों को निपटाएगा और ऐसी जानकारी मांगने वाले व्यक्तियों को तर्कोचित सहायता प्रदान करेगा।

4. लोक सूचना अधिकारी किसी अन्य अधिकारी की सेवा प्राप्त कर सकता/सकती है जैसा कि वह अपने कर्त्तव्य को समुचित रूप से निभाने के लिए आवश्यक समझता/समझती हो।

5. कोई अधिकारी, जिसकी सेवा उप धारा (4) के अन्तर्गत मांगी गई है, उसकी सेवा मांगने वाले लोक सूचना अधिकारी को सम्पूर्ण सहायता उपलब्ध कराएगा/ कराएगी और इस अधिनियम के प्रावधानों में किसी विसंगति के उद्देश्यों के लिए ऐसा अधिकारी लोक सूचना अधिकारी के रूप में माना/मानी जाएगा/जाएगी।

6. **सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध-** (1) जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी जानकारी को प्राप्त करना चाहता है, वह अग्रेंजी, उर्दू, अथवा हिन्दी में लिखित रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से, जिसके साथ आवश्यक शुल्क जो निर्धारित किया जाएगा लगा हो,